न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 29/2019 (2019/00078)

प्रार्थीगण

नवलकिशोर विश्नोई पुत्र हरलाल विश्नोई निवासी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपालदास, जाति कायस्थ, साकिन 17 ई 562 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (मूल खातेदार)।
2. रामप्रकाश पुत्र रामप्रसाद मालपानी
3. दुर्गा पत्नी रामप्रकाश मालपानी
4. पूजा पत्नी अरविन्द मालपानी
5. अनिता पत्नी रवि मालपानी
6. शुभम पुत्र रवि मालपानी
7. अरविन्द, रवि पुत्र रामप्रकाश
8. नाबा, केवली माता अनिता पत्नी रवि मालपानी
   सभी जातियान माहेश्वरी, निवासीगण महामन्दिर, जोधपुर।
9. लक्ष्मण सिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी बी0 जेव एस0 कोलोनी, जोधपुर।
10. अब्दुल समद पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी नागौरी गेट, जोधपुर।
11. पृथ्वीराज सिंह शिम्भुसिंह, जाति राजपूत, निवासी बीजेएस कोलोनी, जोधपुर।
12. गजेन्द्रसिंह पुत्र किराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी श्रीरामनगर, जोधपुर।
13. तहसीलदार, भूमिधारी तहसील जोधपुर।

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र बाबत् अवैध रूप से जमाबन्दी में निजी खातेदारों के नाम दर्ज प्रविष्टियों को विलोपित करने व रकबा राज दर्ज करवाने बाबत्।

– – –

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़ (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (अप्रार्थी संख्या 1 ता 12)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:18 IST
Reason: SelfAttested

–: <u>आदेश</u> :–　　　　　　दिनांक 12.10.2021

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/डीएम/151 दिनांक 11.01.2019 की अनुपालना में राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जिसे पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़ व अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार उपस्थित हुए। उभयपक्ष अभिभाषकगण की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र पेश किया गया कि ग्राम बनाड़ की भूमि खसरा नंबर 169, 129, 111, 137, 138, 139 के संवत् 1992 की खतौनी में क्रमशः खारडा मजकुर, कदीम पड़त मजकुर, हिम्मतो बेटो हुकमारो जातरो भांबी बासी गांवरों, छोगलो बेटो भागलारो जातरो सांसी, करमूडो बेटो बागलारो जातरो सांसी के नाम दर्ज है। इस भूमि को संवत् 2031 की जमाबंदी में पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के तथा बिना किसी नामान्तरण के अप्रार्थी ओमप्रकाश का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। यह इन्द्राज शुरू से ही विधि विरूद्ध, गैरकानूनी व शून्य प्रभावी है। इन अवैध एवं गैरकानूनी इन्द्राज को निरस्त कर इस भूमि को रकबा राज घोषित की जावें। प्रार्थनापत्र के समर्थन में उक्त खसरान् की संवत् 1992 की खतौनी, संवत् 1996 से 1999 तक की खसरा गिरदावरी तथा इन खसरान् के नामान्तरण संख्या 5129 व 5146 तथा जमाबंदी संवत् 2038 से 2059 तक की नकलें पेश की।

अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश माथुर ने जवाब तथा प्राथमिक आपत्तियाँ पेशकर बतलाया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र किस हैसियत से तथा कौनसे कानूनी प्रावधान के तहत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा है। अतः प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। अन्य पदों के जवाब में कथन किया कि खसरा नं0 129, 111, 137, 138 व 139 काबिल काश्त भूमि है तथा गिरदावरी सम्बत् 2008 से 2021 में यह भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की बापी अधिकार की थी। अतः उसे धारा 13 व 15 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत स्वतः खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये। गिरदावरी के कॉलम संख्या 4 में ए–1 दर्ज है जो साबित करता है कि गिरदावरी के कॉलम संख्या 04 के इन्द्राज जमाबन्दी के इन्द्राज ही है। राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राजों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अप्रार्थी ने सम्वत् 2008 से 2021 के जमाबन्दियों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने का प्रयास किया तो बताया गया कि इस समय के बीच की जमाबन्दियां रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। संवत् 2008 में अप्रार्थी संख्या 01 इस भूमि का बापीदार था। अप्रार्थी ने दिनांक 15.09.1949 को तहसीलदार द्वारा जारी बापी पट्टे की सत्यापित प्रतिलिपी पेश की।

अप्रार्थी की ओर से प्राथमिक आपत्तियां एवं जवाब के बाद प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 01 एवं उसके पिता कभी काश्तकार नहीं थे। अप्रार्थी संख्या 01 को [illegible] से जारी पट्टा तहसीलदार जोधपुर के हस्ताक्षर से जारी किया गया है [illegible] बापी पट्टा फर्जी है। रियासतकाल में दरबारराज मारवाड़ में बापी पट्टा बापी सेटलमेन्ट के दौरान बापी अधिकारी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:18 IST
Reason: SelfAttested

जारी किये जाते थे। तहसीलदार को बापी पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 01 की जन्मतिथि दिनांक 05.11.1939 जो दिनांक 15.09.1949 को 10 वर्ष से कम आयु का नाबालिग बच्चा था। उसके द्वारा उस समय इस भूमि पर काश्त करना सम्भव ही नहीं था। अप्रार्थी संख्या 01 ने पहले तो पढाई की तथा दिनांक 20.12.1962 को वह वैटेनरी डॉक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। सन् 1963 से 1966 तक वह पशु चिकित्सालय सोजत में वैटेनेरी डॉक्टर के पद पर रहा। सन् 1964 से 1977 तक अप्रार्थी संख्या 01 ने अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा उसके बाद वापस भारत आने पर वैटेनरी कॉलेज बीकानेर में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया एवं वहाँ से ही सेवानिवृत हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी 60 साल की उम्र तक इस भूमि पर कभी काश्त नहीं की। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 का संवत् 2008 से 2021 तक विवादग्रस्त भूमि का बापीदार होने का कथन स्वतः ही गलत हो जाता है तथा खसरा गिरदावरी के इन्द्राज भी गलत एवं फर्जी हो जाते है। संवत् 2012 से 2021 तक की गिरदावरी केवल वास्तविक काश्त करने वाले के नाम से जारी करने का प्रावधान था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी बापी पट्टा एवं संवत् 2008 से 2021 तक की गिरदावरी फर्जी एवं कूटरचित होने से शून्य है। इस प्रकार की फर्जी कार्यवाही से किये गये इन्द्राज शुरू से ही शून्य होने से अप्रार्थी संख्या 01 को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

उन्होनें अपने प्रार्थना–पत्र में यह भी कथन किया कि भूमि खसरा नं 169 रकबा 06 बीघा खतौनी संवत् 1992 में किस्म खाडा दर्ज है जिस पर काश्त नहीं होती थी। काश्त के अयोग्य भूमि की किसी को खातेदारी नहीं दी जा सकती थी। खसरा नं0 111 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं0 129 रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा खतौनी संवत् 1992 में पड़त कदीम दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय तक पड़त थी। खसरा नं0 137 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा का बापी पट्टा संख्या 149/248 हिम्मता बेट हुकमा भांबी के नाम, खसरा नं0 138 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा का बापी पट्टा 143/306 छोगला बेटा मंगला सांसी के नाम, खसरा नं0 139 रकबा 13 बीघा का बापी पट्टा संख्या 143/305 करमूडा बेटा बागला सांसी के नाम जारी हुआ था। उनका बापी पट्टा निरस्त किये बिना ना तो यह भूमि किसी को आवंटित या नियमन की जा सकता थी और न अन्य किसी की खातेदारी में दर्ज की जा सकती थी। काश्तकार से काश्त की जाने वाली भूमि का लगान देना होता है। अप्रार्थी संख्या 01 ने उस भूमि की कभी भी बिघौडी अदा नहीं की। जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पिता ने तहसीलदार जोधपुर रहते हुए अपने पुत्र के नाम से फर्जी बापी पट्टा बना दिया तथा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर पड़त सरकारी भूमि की गिरदावरी संवत् 2008 से 2021 में अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 ओमप्रकाश के नाम फर्जी इन्द्राज करवाकर जमाबन्दी संवत् 2031 में फर्जी इन्द्राज कर खातेदार दर्ज कर दिया। उन्होनें यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के भाई ने विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा के लिये सहायक कलक्टर जोधपुर के न्यायालय में दावा पेश किया है। जिसमें उसने कथन कि[illegible] विवादग्रस्त भूमि उसके पिता की है। उन्होनें यह भूमि परि[illegible] करवाई थी एवं स्नेहवश

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:18 IST
Reason: SelfAttested

पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 ओमप्रकाश के नाम बनवाया गया। जबकि पट्टा जारी होने की दिनांक 15.09.1949 को अप्रार्थी संख्या 01 की आयु मात्र 09 वर्ष 10 माह थी। अतः अप्रार्थी संख्या 01 की इतनी भूमि आवंटन करवाने की हैसियत नहीं थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 के पिता गोपाललाल जी जो स्वयं तहसीलदार थे। उन्होनें अपने पुत्र के नाम से सरकारी पड़त भूमि का फर्जी बापी पट्टा बना लिया तथा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जमाबन्दी संवत् 2031 में बिना किसी आधार के ओमप्रकाश को खातेदार दर्ज करवा लिया। धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बिना किसी विधिक आदेश के सरकारी पड़त भूमि को खातेदारी में दर्ज इन्द्राज को निरस्त करने के राजस्व मण्डल को अधिकार है तथा माननीय न्यायालय को राजस्व रिकॉर्ड में किये गये गलत इन्द्राज की विधिकता की जांच कर गलत इन्द्राज को निरस्त करने के लिये राजस्व मण्डल को रेफरेन्स करने का अधिकार है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को धारा 82 राजस्थान भू राजस्व के अन्तर्गत शुमार किया जाकर जमाबन्दी 2031 एवं उसके बाद मे किये गये समस्त इन्द्राज निरस्त करने के लिये माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण ने इस प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि गिरदावरी में फर्जी इन्द्राज करवाने के कथन को अस्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पिता को काश्तकार होने का कथन किया। तत्कालीन नियमों में तहसीलदार को बापी पट्टे पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होना बताया। अप्रार्थी संख्या 01 सन् 1949 में काश्त करने में सक्षम था। उन्होनें जवाब में यह भी कथन किया कि पट्टाधारियों ने विधिवत् अपने बापी अधिकार समर्पित कर दिये थे। भू–प्रबन्ध की नियमित कार्यवाही नहीं होने से बापी पट्टों के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज किये गये जो विधिविरूद्ध कार्यवाही नहीं है। उन्होनें यह भी कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

इस प्रकरण में तहसीलदार जोधपुर की ओर से दिनांक 25.08.2019 को जवाब पेश किया गया। जिसमें कथन किया गया कि खातेदार ओमप्रकाश पुत्र गोपाललाल को स्वयं को खातेदार दर्ज करने का नामान्तरकरण नहीं है। अवयस्क नाम तथाकथित कूट रचित बापी पट्टा जारी किया गया है। खसरा नं0 169 रकबा 06 बीघा गैर मुमकिन खडा है। जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन के लिये प्रतिबंधित है। खसरा नं0 111 एवं 129 पड़त कदीम सरकारी खातेदारी की भूमियों की श्रेणी में आती है। धोखे से या मिथ्या अभ्यावेदन से या नियम विरूद्ध इन्द्राज के लिये जिला कलक्टर के स्वयं के ध्यान में आने या किसी आवेदन से पता चले तो जिला कलक्टर को उसे निरस्त करने का अधिकार है। विवादित भूमि पर ओमप्रकाश का कब्जा काश्त नहीं रहा। जमाबन्दी संवत् 2031 में ओमप्रकाश का नाम छलकपट एवं तत्कालीन पटवारी की मिलीभगत से दर्ज किया गया है। तहसीलदार ने अपने जवाब में यह भी कथन किया है कि ग्राम बनाड़ के बापी पट्टे [illegible]र के अभिलेखागार कार्यालय में संधारित नहीं है। अप्रार्थी ओमप्रकाश ने उक्त बापी पट्टा कहां से बनवाया एवं उक्त बापी पट्टा छल कपट एवं कूट रचित तरीके से तथा कर्मचारियों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:18 IST
Reason: SelfAttested

मिलीभगत से प्रमाणित करवाया। उनका यह भी कथन है कि वोटर लिस्ट सन् 2018 के अनुसार अप्रार्थी की आयु सन् 1949 में 10 वर्ष से कम होती है जो अवयस्क श्रेणी में आता है। अवयस्क व्यक्ति को खोतदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। क्योंकि यह भी उसकी पैत्रिक भूमि भी नहीं थी और न उसके पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त था। अतः छलकपट एवं कूटरचित दस्तावेज एवं मिलीभगत से किये गये इन्द्राज जमाबन्दी से विलोपित किये जाकर भूमि खसरा नं0 111, 128, 131, 138, 139 एवं 169 कुल रकबा 62 बीघा 05 बिस्वा रकबा राज घोषित किया जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा दोनों पक्षों की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि विवादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि थी जिसको पटवारी हल्का द्वारा संवत् 2031 की जमाबन्दी में बिना किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश के तथा बिना किसी नामान्तरकरण के किया गया इन्द्राज विधि विरूद्ध होने से शुरू से शून्य है। इस प्रकार के इन्द्राज को निरस्त करने के लिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स करने का जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर को अधिकार है। उन्होनें यह भी जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थी के इन कथनों का खण्डन नहीं किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने पहले पढाई की तथा उसके बाद सन् 1962 में नौकरी की। 1964 से 1970 तक उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका में रहा। बाद में भारत आने के बाद बीकानेर वैटेनरी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नौकरी की तथा वहां से 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हुआ। तब तक उसके द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर काश्त करना संभव ही नहीं था। इस तथ्य का भी अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से खण्डन नहीं किया कि बापी पट्टे पर उसके पिता गोपाललाल का तहसीलदार जोधपुर की मोहर पर हस्ताक्षर है। इस प्रकार प्रार्थी के अखंडित कथनों एवं तहसीलदार जोधपुर के जवाब के आधार पर छल कपट के आधार पर बिना अधिकार फर्जी बापी पट्टे के आधार पर मिलीभगत से किये गये जमाबन्दी के इन्द्राज निरस्त करने के लिये प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। प्रार्थी ने अपने बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय पेश किये।

1. 2017(2) RRT Page 1446 (H.C.)
   Dewa Ram V/s State

   Sec/ 82 - Refrence to quased mutation no order of any court to attest mutation in the name of petitioner. Petitioner cannot the claim any right or title on the basis of such mutation.

2. 2017(2) RRT Page 1192 (H.C.)
   Ganga Ram Vs State

   Sec/ 82 - No Competent authority passed the order of granting khatedari rights. Board of Revenue rightly allowed the reference

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:18 IST
Reason: SelfAttested

mutation exfacie without jurisdiction and effected frudulently. Held no illegaliyt in order of allowing reference.

3. 2014(1) RRT Page 366 (H.C.)
Sarif Vs Board of Revenue

Under Rule 14(4) Petititioner was minor of 11 years at the time of allotment held collector rightly concelled the allotment.

4. 2020(1) RRT Page 521 (H.C.)
State Vs Khamu Ram

Sec 82 Refrence to quash the mutation attested for 65 bigha land and granted khatedari right. No allotment made in favour of the non petitioner. Mutation canceled. Gair Mumkin Tharda land entered in the khatedari of petitoner by mutation no. 334 dated 22.4.1970 reference allowed by Board of Revenue.

5. 2002 (2) RLW 911 (HC) (Larger Bench)
Chiman Lal Vs State

Sec 27-A Rajasthan Panchayat Act 1953 and Rule 272 of Rajasthan Panchayat General Rules 1961. Excise of revisional power by authority absence of provision for any period of limitation provied under the act or the rules.

(1) When the foaud is played by the parties.

(2) Order obtained by misrepresentation or collusion with public officer.

(3) Order agsint the publice interest.

(4) The Order passed by the authority who has no jurisdiction.

(5) The orders are passed in clear vbolation of rules or the provisions of the Act.

(6) Void order or the orders are void ab initio being against the public policy or other in such type of cases revisionaol power can be excised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brought to their notice.

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब में जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी बापी पट्टा विधि अनुसार है। अप्रार्थी का संवत् 2008 से 2021 तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त था। इस कारण उसके नाम बापी पट्टा जारी किया गया, अप्रार्थी ने बिघौडी अदा की है। बापी पट्टे के आधार पर जमाबन्दी में किया गया इन्द्राज सही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बहुत अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:18 IST
Reason: SelfAttested

फरमाया जावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक निर्णय पेश किये।

1. RRT 2020 (1) PAGE NO 602
2. 2009 (9) S.C.C. PAGE NO 352
3. 1993 RRD PAGE NO 596 S.C.
4. 1995 RRD PAGE NO 68 S.C.
5. 2015 RRD PAGE NO 556 H.C.

सरकारी पैरोकार तहसीलदार जोधपुर के जवाब के अनुसार जमाबन्दी में अप्रार्थी ओमप्रकाश के नाम से किये गये इन्द्राज बिना किसी नामान्तरकरण के छल कपट एवं मिलीभगत से होने से उन्हें निरस्त करने तथा विवादग्रस्त भूमि को रकबा राज घोषित करने का निवेदन किया।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अप्रार्थी संख्या 01 सन् 1949 में केवल 10 साल से कम आयु का नाबालिग बच्चा था। जो विधि अनुसार काश्त करने में सक्षम नहीं था। यह तथ्य भी निर्विवादित है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने पहले पढाई की तथा सन् 1962 में नौकरी ज्वॉइन की तथा 60 साल की उम्र तक नौकरी में रहा। अप्रार्थी संख्या 01 सन् 1964 से 1970 तक उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका में रहा। इस तथ्य का भी अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से खंडन नहीं किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय 2017(2) RRT Page 1446 (H.C.) देवाराम बनाम स्टेट, 2017(2) RRT Page 1192 (H.C.) गंगाराम बनाम स्टेट, 2014(1) RRT Page 366 (H.C.) शरीफ बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्य, 2020(1) RRT Page 521 (H.C.) सरकार बनाम खमूराम, 2002 (2) RLW 911 (HC) (Larger Bench) चिमनलाल बनाम स्टेट में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों में अभिनिर्धारित है कि बिना किसी सक्षम न्यायालय/अधिकारी के आदेश के स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार, टाईटल क्लेम नहीं किया जा सकता है। किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खातेदारी घोषित करने के आदेश के बिना स्वीकृत नामान्तरकरण बिना अधिकार एवं छलकपट के होने से रेफरेन्स में निरस्त किया गया। 11 साल के अवयस्क के आवंटन को जिला कलक्टर द्वारा विधिवत् सही खारिज किया गया। 65 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन दरढ़ा का नामान्तरकरण रेफरेन्स में सही खारिज किया। जहां छल किया गया है, कोई आदेश मिलीभगत से प्राप्त किया हों, आदेश बिना क्षेत्राधिकार का हो, कानून का सीधा उल्लघंन कर आदेश पारित किया गया हो, शूरू से ही शून्य आदेश को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा स्व प्रेरणा से या किसी के द्वारा उनके समक्ष लाये जाने पर निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन को देखते हुए प्रकरण धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत शुमार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार सन् 2031 की जमाबन्दी में ओमप्रकाश के नाम से बिना किसी सक्षम अधिकारी एवं सक्षम न्यायालय के आदेश के पटवारी द्वारा मिलीभगत से किया गया विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी का इन्द्राज शुरू से विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:18 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध होने से शून्य है एवं शून्य इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड से हटाने के लिये न्यायहित में रेफरेन्स की शक्तियों का उपयोग करना आवश्यक है। ग्राम बनाड़ तहसील जोधपुर की भूमि खसरा नं0 111, 129, 137, 138, 139 एवं 169 कुल रकबा 62 बीघा 05 बिस्वा का जमाबन्दी संवत् 2031 में ओमप्रकाश को खातेदार दर्ज करने का इन्द्राज विधि विरूद्ध होने से शून्य है एवं निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित कर निवेदन है कि विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संवत् 2031 में ओमप्रकाश को खातेदार दर्ज करने का इन्द्राज तथा उसके बाद की जमाबन्दियों मे किये गये इन्द्राज को निरस्त किया जाकर विवादग्रस्त भूमि को रकबा राज घोषित किया जाकर सरकार के खाते में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:18 IST
Reason: SelfAttested